


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
(म०प्र०)



₹.20/-

गोविन्दलाल तनय चन्द्रिका प्रसाद निवासी ग्राम मनकहरी तहसील
हुजूर जिला रीवा (म०प्र०)

-----आवेदक

बनाम

श्री. श्रीमान् राजस्व मण्डल
द्वारा आज दिनांक 28.10.15
प्रस्तुत किया गया।

एड
के

सिद्ध
सर्किट कोर्ट रीवा

1. मनरजुआ (मृतक)
 - (अ) अरुण कुमार मिश्रा
 - (ब) संजय कुमार मिश्रा दोनो के पिता जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी
ग्राम कप्सा तहसील सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)
2. कलावती पुत्री चन्दशेखर प्रसाद पत्नी बैजनाथ प्रसाद निवासी
ग्राम किट्टहा तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना (म०प्र०)
3. शान्ती (मृतक)
 - (क) अखिलेश उर्फ गुड्डू मिश्रा तनय रामलखन मिश्रा निवासी ग्राम
कप्सा तहसील सेमरिया जिला रीवा (म०प्र०)
4. रामनरेश पुत्र चन्द्रिका प्रसाद
5. राजेश पुत्र चन्द्रिका प्रसाद ब्रा०
6. रामराज (मृत)
 - (अ) बलराजू विधवा पत्नी रामराज
 - (ब) कमलेश्वर प्रसाद
 - (स) अंजनी (फौत) वारिस
 - 1 शीवेन्द्र कुमार
 - 2 सविता पत्नी अंजनी प्रसाद
 - (द) राजेश्वर प्रसाद (मृत) वारिस

गोविन्दलाल

M



28/10/2015

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5133-II/15

जिला रीवा

गोविन्दलाल/मनरजुआ वगैरः

(1)	(2)
19.12.18 -	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अभिताब चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 163/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 16.09.15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य </p> <p style="text-align: center;">  </p>